न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 03/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/10

प्रार्थी:– देवाराम पुत्र दलाजी जाति चौधरी निवासी रानी गांव तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. डुंगाराम पुत्र शोभाराम जाति चौधरी निवासी रानीकलां तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत रानीकलां जरिये सरंपच ग्राम पंचायत रानीकलां तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री राजुराम हरियाल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 70/2013–14 दायर दिनांक 20.02.2014 प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.08.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 डुंगाराम पुत्र शोभाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक 05.08.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ग्राम रानीकलां में अपने पैतृक हक हिस्से के रहवासीय मकान मे निवास कर रहा है जिसका ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 22/1983–84 दायर दिनांक 20.01.1984, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 16.01.1984 की पालना में प्रार्थी के पक्ष में पटटा संख्या 50 दिनांक 20.09.1986 जारी किया गया जो पंचयती राज नियमों की पालना करते हुए विधिवत जारी किया था, जिसके पूर्व दिशा में पन्ना पुत्र लादाजी चौधरी (वर्तमान में प्रार्थी का रहवासीय मकान), पश्चिम दिशा में गली एंव जनाना शौचालय, उत्तर में दलाराम का मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता आया हुआ है। प्रार्थी के कोई संतान नही होने से उक्त भुखण्ड पर अपनी पत्नी के साथ निवास करता है एवं खेती कार्य व पशुपालन का कार्य कर अपना एवं अपनी पत्नी का जीवनयापन करता है, अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के संतान नही होने एंव वृद्धावस्था मे होने का फायदा उठाते हुए ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर षडयंत्रपुर्वक पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए जैर निगरानी आराजी का पट्टा जारी करवा लिया, जो काबिल खारिज योग्य है। जैर निगरानी भुखण्ड का ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा पुर्व में विधिवत तरीके से पट्टा जारी किया हुआ है अतः पुनः उसी भुखण्ड पर पुनः पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया है जिसके तहत आबादी भुमि में पुराने गृहो के विनियमितिकरण के आधार पर पटटा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर विधिवत शुल्क

अति. जिला कलेक्टर पाली

जमा कराये जाने के पश्चात ही ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार है। जिस पर पुर्व में कोई पट्टा जारी नही किया हुआ हो। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय किसी प्रकार कि मिशल कायम नही की न ही ग्राम पंचायत की बैठक में किसी प्रकार का प्रस्ताव लिये बगैर प्रार्थी द्वारा बिना किसी प्रकार का जैर निगरानी पट्टे के लिए आवेदन किये बगैर, बिना मौका निरीक्षण किये, बिना आपत्ति इश्तहार जारी किये बगैर पंचायती राज नियम 140 से 157 की अवहेलना करते हुए जारी किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस न्यायालय मे लिखित राजीनामा पेश करते हुए कथन किया कि उभयपक्ष में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने यह स्वीकार किया है कि जैर निगरानी पटटा प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी पटटा संख्या 50 दिनांक 20.09.1986 के भूखण्ड पर ही जारी किया गया है, जो पंचायती राज नियमों के विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 70/2013–14, प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.08.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 डुंगाराम पुत्र शोभाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक 05.08.2014 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.09.1986 के भूखण्ड पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ है, जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। जैर निगरानी आराजी के संबध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत में केवल पट्टा बुक के अलावा किसी प्रकार का रेकर्ड प्राप्त नही हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वक्त बहस किये गये कथन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने एक ही भूखण्ड पर दो अलग अलग पट्टे जारी कर दिये है तथा जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। इस सम्बन्ध में डी.एन.जे. 1998 पेज 560 पर यह कहा गया है कि– पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) डी.एन.जे. 1147, 2018 (1) डी.एन.जे. 111 भी इसका समर्थन करते है। लिहाजा यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त उभयपक्ष के मध्य जैर निगरानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और अप्रार्थी संख्या 01 ने यह स्वीकार किया है कि जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है, अतः यदि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 70/2013–14, प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.08.2014 की पालना में अप्रार्थी डुंगाराम पुत्र शोभाराम चौधरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

05.08.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner